न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00265Ju2018-121 Himmatsingh Vs Gautamsingh etc

हिम्मतसिंह गहलोत पुत्र श्री जयनारायण जी, जाति माली, निवासी- हिम्मत जय मोटर्स, जालोरी गेट, जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. गौतमसिंह पुत्र प्रेमसुख जी जाति माली, निवासी- खेमे का कुआं, पाल रोड़, जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 30 जून 2018 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2017 श्री गौतमसिंह बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री हरिसिंह कच्छवाह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 23 सितंबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2017 श्री गौतमसिंह बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 30 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 30 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. गौतमसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 272 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा मौजा बड़ली में स्थित है। प्रार्थी/रेस्पो. की उक्त भूमि के उतरी दिशा में चिपती खसरा नं. 270 की भूमि अप्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी की है तथा आगे आम रास्ता स्थित है एवं वह खसरा नं. 270 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे कदीमी रूप से आवागमन करता है, जिसका नजरी नक्शा साथ में सलंग्न है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 30 जून 2018 को खसरा नं. 270 में सें रास्ता देने का आदेश दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को संशोधित करने का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया गया जो दिनांक 18.09.2017 को स्वीकार किया गया एवं संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने का आदेश दिया गया परन्तु संशोधित प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया गया, एवं आगे आगे पेशीया दी जाती रही। दिनांक 08.03.2018 को आगामी पेशी 23.05.2018 दी गई उस तिथि को राजस्व अभियान चल रहा था, इस कारण तमाम पेशीया 10.09.2018 को दी गई जो अधिवक्ता अपीलार्थी की डायरी में लिखी हुई है। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2018 को पेशी को काटकर 23.03.2018 कर दिया गया जो सर्बरक पर साफ प्रकट होता है। इसके पश्चात पत्रावली मनचाहे तरीके से पेशीया मुकर्रर करते हुए पत्रावली कैम्प कोर्ट में ले जाकर दिनांक 30.06.2018 को अपीलार्थी को बिना सुने निर्णित कर दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तमाम आज्ञा सूचियां पीछे की तारीखों में लिखी गई है एवं उन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए चलने योग्य ही नही था, क्योंकि उसको किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके आवागमन हेतु पहले से ही खसरा नं. 273 एवं 259 में सें वैकल्पिक चालु रास्ते उपलब्ध है, जिनके फोटो इस अपील के साथ पेश किये जा रहे है। अदालत मातहत ने इस बारे में बिना कोई जांच किये फैसला कर दिया। अदालत मातहत ने पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला कर दिया। पटवारी ने अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में मौके के हालात के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर पेश की, जिसे अपीलार्थी के विरूद्ध नहीं पढा जा सकता है। रेस्पोडेंट द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पेश किया गया, वह उसके वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य ही नहीं है, क्योंकि प्रार्थना पत्र नियम 68 राजस्थान टेनेंसी बोर्ड नियम के अनुसार पेश ही नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्थान टिनेंसी गोरमेंट रूल्स 69 की कोई पालना नहीं की, इस कारण उनके द्वारा की गई तमाम कार्यवाही दूषित हो चुकी थी, उसके बावजूद भी मनमाने ढंग से आदेश दे दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश अनियमितताओं का पिटारा है जो हाई हैण्डेड की एक्शन में आता है। अपीलाधीन आदेश में मनमाने तथ्य लिखे है जो सत्यता से परे है, इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन आदेश 30.06.2018 को निरस्त किया जावें।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने कथन किया कि प्राथी/रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 272 मौजा बड़ली में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/अपीलांट्स की भूमि खेत खसरा नं. 270 की पूर्वी सीमा पर अपीलाधीन कदीमी रास्ता पिछले कई वर्षो से चलता है, जहां से रेस्पोडेंट आवागमन करता है। उक्त रास्ता रेस्पोडेंट्स के लिए निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। **पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा लद्ठा ग्राम बड़ली तहसील जोधपुर पी-35 क्रमांक 2363 दिनांक 23 06.2017 के मुताबिक प्रार्थी के खसरा नं. 272 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के बजाय खसरा नं. 273 एवं 259 की उभयनिष्ठ सीमा के सहारे-सहारे रास्ता लघुतम एवं निकटतम प्रतीत होता है,** जिसे दिये जाने से भूमि का न्यूनतम रकबा इसमें समाहित होगा। ऐसी परिस्थिति में अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2017 श्री गौतमसिंह बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 30 जून 2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा नं. 273 के खातेदार अचलसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुरोहित को पक्षकार संयोजित कर उस पर सम्यक तामील पश्चात् रास्ते की वस्तु स्थिति बाबत **नवीन मौका रिपोर्ट तलब कर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई पश्चात गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें।**

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 23/9/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर